

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT

No.PWE-94-82 (Misc)/25-ES-I-
From

23-124

Dated:- 03/04/2023

Engineer-in-Chief,
HP.PWD, Shimla-2.

To,

The Engineer-in-Chief (Project) HPPWD,
The Chief Architect HPPWD, Shimla/ Mandi,
The all Chief Engineers HPPWD,
The all Superintending Engineers HPPWD,
The all Executive Engineers HPPWD,
LAOs Shimla/Mandi /Kangra HPPWD,

Subject:-

प्रशासन में राजभाषा के कार्यान्वयन बारे।

I am directed to enclosed herewith a photocopy of letter No. 5458 dated 01.02.2023 received from the Director language & cultural Department to the Govt. of Himachal Pradesh on the subject cited above for information and taking further necessary action in the matter.

Encl: As Above.

(Anup Bhardhwaj)
Registrar,
HP, PWD, Shimla-2.

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Copy to the Executive Engineer (ICT Wing) HP.PWD Shimla-2 with direction to upload this letter a/w its enclosures on the official website of the Department.
2. All the Head of the branches in this office for infoamton and necessary action.

F.R
EECTT

Shy
4/4/2023

(Anup Bhardhwaj)
Registrar,
HP, PWD, Shimla-2.

q

Shy
4/4/2023

AE-IT Sharma
4/4/2023
TE(IT)



भाषा एवं संस्कृति विभाग,
संस्कृति भवन, खण्ड-39, शि.वि.प्रा. परिसर,
कसुम्पटी, हिमाचल प्रदेश, शिमला-09
दूरभाष 0177-2626616, फैक्स, 0177-2628789,
ई-मेल(अणुसंकेतक)-dirculture@gmail.com,
dir.hp@nic.in

lac-



संख्या: भासनि-8/98-राजभाषा-
सेवा में

दिनांक: 01/02/23

30/1/23
6/2/23

प्रमुख आधिकारिक,
भाषा विभाग,
सिमा विहार शिमला-2

प्रशासन में राजभाषा के कार्यान्वयन बारे।

विषय:
सहायक,

आपको विदित ही है कि हिमाचल प्रदेश में हिंदी भाषा को सरकारी कामकाज में बढ़ावा देने तथा इसके प्रयोग के आशय से सरकार द्वारा राजभाषा अधिनियम 1975 पारित किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार 26 जनवरी, 1978 से प्रदेश में समस्त प्रशासनिक कार्य हिंदी के किए जाने का निर्णय लिया गया है। सरकारी कामकाज में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त कार्यालयों को समय-समय पर मार्गदर्शन तथा सहायक सामग्री उपलब्ध करवाई गई है।

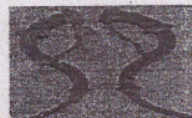
हिन्दी को सम्पर्क भाषा के रूप में सशक्त माध्यम बनाने के प्रयोजन से हिंदी का सरल रूप बनाया जाना लोकहित में है क्योंकि आम आदमी बिना किसी कठिनाई के इसका अधिक से अधिक प्रयोग कर सकता है, जिससे हर नागरिक को सरकारी कामकाज में सुगमता रहती है। आम आदमी हिंदी भाषा को सरलता से समझ सकता है। प्रशासन में पारदर्शिता तभी सम्भव हो पाएगी जब प्रशासन का सभी कार्य सरल भाषा में हो परन्तु अभी भी बहुत सारा कार्य अंग्रेजी में ही किया जा रहा है जो अनुचित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि राजभाषा का सम्मान करते हुए भविष्य में अपने कार्यालय से संबंधित समस्त कार्य हिंदी में करें तथा हिंदीकरण की त्रैमासिक रिपोर्ट (जनवरी-मार्च, अप्रैल-जून, जुलाई-सितम्बर तथा अक्टूबर-दिसम्बर) विभाग को अवश्य भेजें।

भवदीय

(Signature)

डॉ. पंकज ललित (हि.प्र.से.)
निदेशक, भाषा एवं संस्कृति विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009



3697-CH
07/2/2023